—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 138/2022

उनवान

1. हंगामी पत्नी दयाल पुत्रवधु गंगा पत्नी इन्द्रा जाति गुर्जर निवासी ग्राम बैवंजा, नसीराबाद
2. बलदेव पुत्र दयाल पौत्र गंगा पत्नी इन्द्रा जाति गुर्जर निवासी ग्राम बैवंजा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थी :— 1 जरियें राज. पैरोकार,

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 05/6/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बैंवजा की निम्न आराजी प्रार्थीगण की पुश्तेनी खातेदारी की है :—

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	हाल ख.न.	रकबा
633/2	12—5—0	389 मिन	745	0.31
			750	0.31
			751	.005
			744	0.05
			746	0.37
			747	0.40
			748	0.26
			749	0.[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:23:28 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 633/2 [illegible] खातेदार इन्द्रा पुत्र गोकल के नाम दर्ज है, जो कि प्रार्गी संख्या 1 के दादा ससुर व प्रार्गी संख्या 2 के दादा थे। वंर्किग जमाबंदी में गंगा पत्नी इन्द्रा का नाम जरिये विरासत द[illegible] किया गया। आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की पुश्तेनी है। भू प्रबन्ध विभाग ने अनितम चौसाला जमाबंदी के इन्द्राज

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

के प्रतिकूल राजस्व अभिलेख में गलत तरीके से सिवासचक दर्ज कर दी, जिस कारण अप्रार्थी आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने मूल वाद में जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर के वंर्किग खसरा नमबर 388 व 389 बने है, जिनकी वंर्किग जमाबंदी नही पेश की है। भूमि वर्तमान में सिवायचक है अतः वाद निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम बैवंजा के चौसाला खसरा नम्बर 633/2 रकबा 12–5–0 वौसाला जमाबंदी के खाता संख्या 3 में इन्द्रा पुत्र गोकल के नाम दर्ज थी। तथा विरासत के नामान्तकरण द्वारा उक्त आराजी गंगा पत्नी इन्द्रा के नाम दर्ज हुयी। चौसाला खसरा नम्बर 633 का कुल रकबा 43–15–0 है। प्रार्थी द्वार समस्त रकबे की सिथति स्पष्ट नही की गयी है। वंर्किग खसरा नम्बर 388 व 389 खसरा गिरदावरी में सिवासचक खाते में दर्ज है। हाल राजस्व अभिलेख में भी आराजी मुतनाजा सिवायचक खातें में दर्ज है। भूमि वर्ष 1984 से राजस्व अभिलेख में सिवायचक खातें में दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने के कोई प्रमाण नही है। सिवायचक आराजी पर अप्रार्थी को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से ही सिद्व होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा के चौसाला खसरा नम्बर के पूर्ण रकबे की स्थिति स्पष्ट नही है। वंर्किग व हाल राजस्व अभिलेख में खातेदारी होने को कोई प्रमाण नही है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम बैवंजा की आराजी मुतनाजा पर पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

कारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:23:28 IST
Reason: SelfAttested